कार्यालय निदेशक,प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वाशि/7505/2017–18/55 दिनांक 28.08.2017

समस्त
उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा

विषयः– स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया (SGFI) खिलाडियों/शारीरिक शिक्षको/प्रशिक्षको/शिक्षकों/अधिकारियों द्वारा सीधे पत्र व्यवहार न करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोज्य विभिन्न राष्ट्रीय विधालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं,नेशनल ओरियण्टेशन टेनिंग प्रोग्राम तथा अन्तराष्ट्रीय विघालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में विभिन्न दायित्वों यथा निर्णायक/टेक्निकल ऑफिसर/आब्जर्वर/प्रशिक्षक/मैनेजर आदि का निर्वहन करने के लिए विभाग में कार्यरत शारीरिक शिक्षक/प्रशिक्षक/शिक्षक/अन्य अधिकारी अपना आवेदन पत्र सीधे ही स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया को प्रेषित न करें तथा न ही पत्र व्यवहार करें । इस कम में अपना आवेदन–पत्र सम्बद्ध जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक के माध्यम से निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें । जिससे पात्र आवेदकों के आवेदन पत्र इस कार्यालय के द्वारा स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया को अग्रेषित/प्रेषित किये जा सकेंगे ।

स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा किसी भी कार्मिक/खिलाड़ी को राष्ट्रीय विधालयी खेलकूद प्रतियोगिता/नेशनल ओरियण्टेशन टेनिंग प्रोग्राम/अन्तर्राष्ट्रीय विधालयी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु किसी प्रायोजनार्थ लगाये जाने का पत्र इस कार्यालय को प्राप्त होने पर निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात् ही संबंधित संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक/खिलाडी को कार्यमुक्त करें । बैगर निदेशालयी स्वीकृति आदेश व केवल स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन इण्डिया के पत्र के आधार पर किसी भी कार्मिक/खिलाड़ी को कार्यमुक्त करने पर संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

इसी प्रकार बैगर निदेशालयी स्वीकृति आदेश/बैगर संस्था प्रधान द्वारा कार्यमुक्ति आदेश केवल स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया के पत्र के आधार पर किसी कार्मिक/खिलाड़ी द्वारा राष्ट्रीय विधालयी खेलकूद प्रतियोगिता/प्रशिक्षण कार्यकम/अन्तर्राष्ट्रीय विधालयी खेलकूद प्रतियोगिता में किसी भी रूप में प्रतिनिधित्व किया गया तो संबंधित कार्मिक/अधिकारी के विरुद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

इस कम में पूर्व में यदि निदेशालयी स्वीकृति के बैगर केवल स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इण्डिया(**S.G.f.I.**)के पत्रों के आधार पर किसी भी राष्ट्रीय विधालयी खेलकूद प्रतियोगिता/प्रशिक्षण कार्यकम/अन्तरराष्ट्रीय विधालयी खेलकूद प्रतियोगिता में किसी भी प्रयोजन हेतु प्रतिनिधित्व किया गया हो तो प्रकरण निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को तत्काल प्रेषित करें ।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित हो ।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
01– निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
02– सेकेटरी जनरल एस.जी.एफ.आई. राधाबल्लभ इन्टर कालेज,शाहगंज आगरा ,(उत्तरप्रदेश) ।
03– प्रधानाचार्य सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर ।
04–प्रधानाचार्य राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविधालय जोधपुर ।
05–सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा ।
06–रक्षित पत्रावली ।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर